



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22634

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 799/2026

बबलू

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनुराग उपाध्याय

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. आज पारित किए जाने वाले आदेश के मद्देनजर, निजी-प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा इस रिट याचिका में की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ संभाग, आजमगढ़ को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(4) के तहत अपील संख्या 2069/2025, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या C202515000002069 (बबलू बनाम लाल बहादुर) का निर्णय निर्धारित अवधि के भीतर किया जाए।
4. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
5. पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ संभाग, आजमगढ़ को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त मामले का

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं

किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्णय कानून के अनुसार सख्ती से किया जाए, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के,
जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं
किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।